न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 75 / रा.भू.अधि. / 03 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
आम जनता ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जरिये 1. वेरीयालसिंह पुत्र धर्मसिंह 2. जबरसिंह पुत्र आसूसिंह 3. दुर्गसिंह पुत्र समेलसिंह जातियान राजपूत 4. गंगदाराम पुत्र लिछमणाराम जाति मेघवाल 5. रामाराम पुत्र मकाराम जाति गुरूड़ा 6. नरसीराम पुत्र हरदानराम 7. पाताराम पुत्र सुजानाराम 8. बाबुराम पुत्र केवदाराम 9. भानसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति मेघवाल 10. बलवंतसिंह पुत्र नरसिंह जाति राजपूत 11. मोटाराम पुत्र दीपाराम जाति गुरूडा 12. चोपाराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासीयान सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 3. सरपंच, ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 की ओर से।
3. वकील श्री भजनलाल गोदारा रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 11.09.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में मूल ग्राम पंचायत भाखरपुरा से नवसृजित ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान का गठन किया गया था तथा नवसृजित ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान के भवन व परिसर निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के मध्य में स्थित खसरा संख्या 105 रकबा 56.11 बीघा गैर मुमकिन आबादी स्थित है उक्त भूमि ग्राम पंचायत के मध्य में सरकारी स्कूल के पास स्थित है तथा आने जाने हेतु पर्याप्त रास्ते की सुविधा उपलब्ध है तथा पास ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी बना हुआ है तथा उक्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व रेकर्ड में पूर्व ग्राम पंचायत भाखरपुरा के नाम से दर्ज है। तत्पश्चात वर्तमान में ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान के वर्तमान सरपंच द्वारा अपने निजी लाभ के लिये व अपने हित सुख के लिये ग्राम पंचायत का मुख्यालय खसरा संख्या 105 जो ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान का हदय स्थल है पर न रखकर बहुत दूर ग्राम पंचायत के एक कोने पर खसरा संख्या 176/16 व 176/1 में से रकबा 02.10 बीघा भूमि समर्पित करवाकर ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान के भवन व परिसर के निर्माण हेतु उतरदाता संख्या 1 से दिनांक 23.09.2020 को आवंटित करवा दी तथा वर्तमान में मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर प्रयासरत है जिससे अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध तरीके से राजनैतिक दबाव बनाकर जारी करवाया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किए गए एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। चारों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांट की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में मूल ग्राम पंचायत भाखरपुरा से नवसृजित ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान का गठन किया गया था तथा नवसृजित ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान के भवन व परिसर निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के मध्य में स्थित खसरा संख्या 105 रकबा 56.11 बीघा गैर मुमकिन आबादी स्थित है उक्त भूमि ग्राम पंचायत के मध्य में सरकारी स्कूल के पास स्थित है तथा आने जाने हेतु पर्याप्त रास्ते की सुविधा उपलब्ध है तथा पास ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी बना हुआ है तथा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में पूर्व ग्राम पंचायत भाखरपुरा के नाम से दर्ज है। तत्पश्चात वर्तमान में ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान के वर्तमान सरपंच द्वारा अपने निजी लाभ के लिये व अपने हित सुख के लिये ग्राम पंचायत का मुख्यालय खसरा संख्या 105 जो ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान का हदय स्थल है पर न रखकर बहुत दूर ग्राम पंचायत के एक कोने पर खसरा संख्या 176/16 व 176/1 में से रकबा 02.10 बीघा भूमि समर्पित करवाकर ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान के भवन व परिसर के निर्माण हेतु उतरदाता संख्या 1 से दिनांक 23.09.2020 को आवंटित करवा दी तथा वर्तमान में मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर प्रयासरत है जिससे अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। वर्तमान सरपंच उतरदाता संख्या 3 द्वारा अपने निजी फायदे को ध्यान में रखते हुऐ तथा आम जनता के हितों को अनदेखा करते हुए खसरा संख्या 176/16 व 176/1 में से जो अपने रहवासी घर के पास स्थित है तथा ग्राम पंचायत के एक कोने व सरहद पर स्थित है, को उतरदाता संख्या 3 ने उतरदाता संख्या 1 पर राजनैतिक दबाव बनाकर गलत रूप से ग्राम पंचायत सिंधासवा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

चौहान के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु आवंटन करवाई गई है, जो वर्तमान सरपंच द्वारा आम जनता के हितों को अनदेखा करते हुऐ मात्र अपने निजी फायदे के लिये आवंटित करवायी है, इसलिये उतरदाता संख्या 3 द्वारा ग्राम पंचायत की आम जनता के हितों को अनदेखा करते हुऐ मात्र अपने हितों व अपनी सुविधा के लिये अपने घर के पास ही अपनी स्वयं की भूमि आवंटन कराकर ग्राम पंचायत मख्यालय व पंचायत भवन का निर्माण पर प्रयासरत है जो कतई विधि सम्मत नहीं है। उतरदाता संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान के भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि खसरा संख्या 176/16 व 176/1 मौजा सिंधासवा चौहान विवादित भूमि है जिस पर वर्तमान में श्रीमान न्यायालय से स्थगन आदेश जारी किया गया है जो स्थगन आदेश दिनांक 10.05.2021 तक प्रभावी है। इस कारण उतरदाता संख्या 1 द्वारा आवंटित भूमि पूर्णतया विवादित भूमि है जिस पर पंचायत भवन का निर्माण करने से पूर्व विवाद होने की पूर्ण सम्भावना है तथा आधे–अधूरे भवन के निर्माण के दौरान स्थगन आदेश के प्रभावी होने से राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान होगा जिस कारण भी उक्त आवंटन आदेश को अपास्त किया जाना न्यायोचित है। अपीलांटगण ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान की आम जनता है के द्वारा यह अपील पेश की जा रही है जिनको उक्त अपील पेश करने हेतु पूर्ण अधिकार प्राप्त होने से उन्हें पेश करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अपीलांटस का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2014-15(Supp.) Page 659
RRT 2021(2) Page 1369
RRT 2018(1) Page 317
RRT 2023(1) Page 616

रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सी पी सी के प्रावधानों के तहत हितबद्ध पक्षकार जो व्यक्ति जिसका हित नियत है। हस्तगत प्रकरण ग्राम पंचायत के गांव के बैठने का स्थान है जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिये हितबद्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सी पी सी को स्वीकार फरमाया जाता है तो कोई आपति नहीं है।

रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में मूल ग्राम पंचायत भाखरपुरा से नवसृजित ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान का गठन किया गया था। पंचायत पुनःगठन की प्रक्रिया को कही चुनौती नहीं दी। अस्थायी तौर ग्राम पंचायत भवन का संचालन आवंटित भूमि के पास ही हो रहा है। अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 23.09.2020 को नियम 1963 के तहत जारी किया गया जिसको कही पर चुनौती नहीं दी गई। पंचायती राज अधिनियम 92 के तहत पंचायत प्रस्ताव को कहीं पर चुनौती/विरोध नहीं किया गया। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बावत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत 96 सी पी सी पेश किया गया है। लेकिन अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश में हस्तगत प्रकरण में हितवद्ध एवं पिड़ित पक्षकार नहीं होने से अपीलांटगण अपील पेश करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित किया गया है उक्त भूमि समस्त सार्वजनिक सुविधाओं से युक्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान में समस्त लोकोपयोगी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आवंटन विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सी पी सी को खारिज फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आवंटन आदेश को यथावत रखा जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

WLC 1993 1Page 109
DNJ 2018(2) Page 699

पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 23.09.2020 को जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समस्त जन उपयोगी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए अपीलाधीन आंवटन आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि नवसृजित पंचायत सिंधासवा चौहान के ग्राम पंचायत भवन एवं परिसर निर्माण हेतु अपीलाधीन आवंटन आदेश से भूमि ग्राम पंचायत की परिसीमा के मध्य में स्थित है। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई जिसमें मौका फर्द दिनांक 30.07.2021 में स्पष्ट आया है कि "राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन अनुसार ग्राम सिंधासवा चौहान व ग्राम बारूडी को मिलाकर दोनों ग्रामों के लिए अलग ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान मु. अजा का फाटा का सृजन किया है। ग्राम बारूड़ी, ग्राम सिंधासवा चौहान दो भागोलिक क्षेत्रफल व आबादी अनुपात में बड़ा राजस्व ग्राम होने के बावजूद आमजन की सुविधाओं को मद्देनजर पंचायत मुख्यालय दोनों ग्रामों के मध्य ग्राम सिंधासवा चौहान में भाखरपुरा से सिंधासवा हरनियान व ग्राम सिंधासवा चौहान से भाखरपुर से सिंधासवा हरनियान व ग्राम सिंधासवा चौहान से ग्राम बारूड़ी जाने वाली पक्की डामर सड़क पर स्थित चार रास्ता जिसे प्रचलित नाम 'अजा का फांटा' नाम से जाना जाता है, को ग्राम पंचायत मुख्यालय 'सिंधासवा चौहान मु. अजा का फांटा' निश्चित किया गया।" तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं के द्वारा अपीलाधीन आराजी को ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान को आवंटित करने हेतु जरिये पत्रांक राजस्व/2020/636 दिनांक 11.09.2020 के द्वारा मौजा सिंधासवा चौहान के खसरा संख्या 176/16, 176/1 क्रमशः रकबा 1.10, 38.10 बीघा में से क्रमशः 1.10, 1.00 कुल रकबा 2.10 बीघा भूमि को ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान के भवन एवं परिसर निर्माण हेतु नियमों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

परिपेक्ष्य में आवंटन करने की अनुशंषा की गई है। राज. भू. राजस्व (लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान को राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 6(25)राज–6/2014/56 दिनांक 19.07.2018 के तहत कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटन की गई है जो विधि सम्मत है। हस्तगत अपील में दिनांक 09.03.2021 को स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद दूसरे पक्ष को सुने बिना मामले को अपीलांटगण द्वारा लंबा खिचना विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। वक्त आवंटन के समय उचित विकल्प को ध्यान में रखते हुए आवंटन आदेश जारी किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अपीलांटगण द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत 96 सी पी सी पेश किया गया है। लेकिन अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश में हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध, आवश्यक एवं पिड़ित पक्षकार नहीं होने से अपीलांटगण अपील पेश करने के अधिकारी नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज किया जाता है तथा अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जाती है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर